

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 (अग्रहायण 10, शर्क सम्वत् 1939) विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई. अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्रोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 एवं 18) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 144 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 160 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. बहिर्गमन

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शिक्षकों की चेक पोस्ट पर उपस्थिति सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्रमांक 1932) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

3. शून्यकाल में उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

भोपाल के एम पी नगर क्षेत्र में एक छात्रा के साथ दुष्कृत्य की घटना की स्थगन प्रस्ताव के रुप में चर्चा कराई जाना

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि –कांग्रेस विधायक दल की तरफ से जो स्थगन आया था उस पर कल सदन में आसंदी से नियम 130 के तहत चर्चा कराने की व्यवस्था दी थी, लेकिन आज की कार्यसूची में इसका जिक्र नहीं है. अत: इस स्थगन प्रस्ताव पर कृपया चर्चा करायें.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - भोपाल के एम पी नगर क्षेत्र में एक छात्रा के साथ दुष्कृत्य की घटना के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई हैं. इस संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष और सदस्यों के अनुरोध पर मेरे द्वारा इस घटना पर किसी न किसी रूप में चर्चा कराये जाने का आश्वासन दिया गया था. तदुपरान्त माननीय नेता प्रतिपक्ष वसदस्यों के कल प्रश्नकाल में अनुरोध पर इस पर नियम 130 के अंतर्गत चर्चा कराने हेतु सदन में उल्लेख किया गया था. परन्तु इस परिप्रेक्ष्य में नियमान्तर्गत प्रस्ताव नहीं था. विषय की अविलम्बनीयता और आपकी चिन्ता को देखते हुए मेरे द्वारा इसे स्थगन प्रस्ताव के रुप में ही लिए जाने का निर्णय लिया गया है. यह स्थगन भोपाल में घटित घटना पर ही रहेगा. साथ ही आज की कार्यसूची में शासकीय एवं अशासकीय अनेक महत्वपूर्ण कार्य सम्मिलित हैं. अतः माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस पर सटीक एवं संक्षेप में अपनी बात रखकर कार्यवाही पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करेंगे.

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने का निर्णय लिया, उसके लिए आपको धन्यवाद. आपने यह कहा कि बहुत सारे कार्य हैं. विधान सभा सत्र समाप्ति में अभी पूरा एक सप्ताह शेष है. 8 दिसंबर तक विधान सभा सत्र चलने की बात है. आज की जो कार्यसूची बनायी है, क्या उसके आधार पर सभी विधेयक आज पास कर लेंगे? आज अशासकीय कार्य का दिन भी है. हर सत्र पहले समाप्त हो जाता है. मध्यप्रदेश विधान सभा की गौरवशाली परम्परा रही है, हम लोग स्थगन पर पूरी चर्चा करेंगे उसके बाद जो समय रहेगा उसमें ध्यानाकर्षण और अशासकीय संकल्प लिए जाएं.

श्री रामनिवास रावत ने उल्लेख किया कि ग्राह्यता पर चर्चा की आपने अनुमित दी इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं लेकिन हमारे स्थगन प्रस्ताव में भोपाल की एमपी नगर की घटना के साथ प्रदेश में महिला सुरक्षा से संबंधित विषय भी हैं. उन सभी घटनाओं का उल्लेख किया है. केवल एक घटना तक चर्चा सीमित रखने से महिला सुरक्षा पर पूरी चर्चा नहीं हो पाएगी. अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों को सूचित किया कि आप ग्राह्यता के समय यह बात रख दीजिएगा.

4. स्थगन प्रस्ताव भोपाल के एम.पी. नगर क्षेत्र में छात्रा के साथ दुष्कृत्य की घटना होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि भोपाल के एम.पी. नगर क्षेत्र में छात्रा के साथ हुए दुष्कृत्य की घटना के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की 7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की सूचना अधिक तथ्यात्मक होने के कारण उनकी सूचना को पढ़ा गया. श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री ने शासन का वक्तव्य देकर माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध किया कि आज यह विषय सदन के सामने लाया गया है, घटना गंभीर है. इस चर्चा को हम सकारात्मक बनाएं तािक उस पीड़िता के सम्मान में भी हम कुछ कर पाएंगे और ऐसी घटनाओं को रोकने में सरकार को मदद मिलेगी. विपक्ष की तरफ से जो भी सुझाव आयेंगे, हम निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे.

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

- (1) डॉ. गोविन्द सिंह
- (2) श्री रामनिवास रावत

5. अध्यक्षीय घोषणा सदन के समय में वृद्धि एवं भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमित से घोषणा की गई कि स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा भोजनावकाश में जारी रहेगी. माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

6. स्थगन प्रस्ताव (क्रमश:)

(3) श्री आरिफ अकील

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए

- (4) श्री सुन्दरलाल तिवारी
- (5) श्री शैलेन्द्र पटेल
- (6) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
- (7) श्री जयवर्द्धन सिंह
- (8) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष

अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए

श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि माननीय सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मैं स्थगन प्रस्तुत करने की अनुमित नहीं देता.

7. बहिर्गमन

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल काँग्रेस के सदस्यों द्वारा स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा न करने की अनुमति नहीं दिए जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन.

8. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नियम 267-क अधीन लंबित सूचनाओं में से 32 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा. तद्नुसार –

- (1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की नगर निगम भोपाल द्वारा झील संरक्षण में लापरवाही तथा भ्रष्टाचार किये जाने,
- (2) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले में बच्चों की सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी को चिन्हित न कर पाने से उपचार नहीं होने,
- (3) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना नगर सीमा से नजदीक बह रही आसन नदी को प्रदूषण मुक्त कराए जाने,
- (4) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने बी.पी.एल. की अनिवार्यता समाप्त करने,
- (5) श्री तरूण भनोत, सदस्य की जबलपुर के ग्वारीघाट का विकास कार्य न होने,
- (6) डॉ. रामिकशोर दोगने, सदस्य की खाचरौद क्षेत्र में मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों में अनयिमितता होने,
- (7) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य की नागझिरी को नगर परिषद् बनाए जाने,
- (8) श्री मधु भगत, सदस्य की परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विगत कई वर्षों से चिकित्सक की व्यवस्था न होने,
- (9) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य की विदिशा जिले के गंजबासौदा शहर के बायपास सड़कों की हालत जर्जर होने,
- (10) श्री सोहन लाल बाल्मीक, सदस्य की परासिया विधानसभा क्षेत्र में महिला बाल विकास विभाग द्वारा हितग्राहियों को इंदिरा गांधी मातृत्व योजना का लाभ न दिये जाने,
- (11) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की सेंवढ़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खमरौली को नगर पंचायत सेंवढ़ा में शामिल करने,
- (12) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी जिले स्थित चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का अंबार होने,
- (13) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की शहडोल जिले के जयसिंह नगर तहसील निवासी छात्र का जाति प्रमाण पत्र जारी न होने,
- (14) श्री फुन्देलाल सिंह मार्कों, सदस्य की पुष्पराजगढ़ विधानसभा अंतर्गत नगरी अमरकंटक में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट न लगने,
- (15) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य की खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों को सूखाराहत राशि प्रदाय तथा बिजली बिल माफी किये जाने,
- (16) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों में बिजली समस्या होने,
- (17) इं. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले के कर्रापुर कृषि उपज मंडी को मंडी का दर्जा न दिये जाने,
- (18) डॉ. योगेन्द्र निर्मल, सदस्य की वारासिवनी स्थित तालाब सौन्दर्यीकरण हेतु राशि स्वीकृत न किये जाने,
- (19) श्री कैलाश चावला, सदस्य की मध्यप्रदेश में सिंहस्थ हेतु प्रशिक्षित जवानों को होमगार्ड के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने.
- (20) श्री राजकुमार मेव, सदस्य की खरगौन जिले की नगर परिषद् मण्डलेश्वर द्वारा जल आवर्धन योजना में राशि का दुरूपयोग व भ्रष्टाचार किये जाने,
- (21) श्री के.डी. देशमुख, सदस्य की बालाघाट जिले में अल्प वर्षा के कारण कई तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने,
- (22) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की रीवा जिले में उद्योग विभाग द्वारा आवंटित भूमि पर अन्य कंपनियों का अवैध अतिक्रमण होने,
- (23) श्री सचिन यादव, सदस्य की खरगोन जिले की तहसील कसरावद में सेंचुरी यार्न एण्ड डेनिम कंपनी के विक्रय उपरांत, मजदूरों के हितों की अनदेखी की जाने,
- (24) श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य की खातेगांव क्षेत्र अंतर्गत संचालित स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी होने,
- (25) श्री लाखन सिंह यादव, सदस्य की सीहोर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 28 में पीरबाबा दरगाह की सड़क व नाली निर्माण किये जाने.
- (26) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य की सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा में नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट होने,
- (27) श्री संजय शर्मा, सदस्य की प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संचालित करने हेतु पंचायत स्तर पर भवन न होने,
- (28) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की सीहोर जिले के बिलिकसगंज स्वास्थ्य केन्द्र में पोस्टमार्टम की सुविधा न होने,
- (29) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में किसानों को मुआवजा एवं बीमा राशि प्रदाय करने,
- (30) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य की भीकनगांव क्षेत्र में गौ हत्या के लिए पशुओं को बाहर भेजे जाने,
- (31) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य की मंडला जिले में अनेक विद्यालयों के भवन निर्माण न होने तथा
- (32) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य की नागदा स्थित उद्योगों से चंबल नदी का जल प्रदूषित होने, संबंधी सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

9. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश शासन चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का अंतरिम प्रतिवेदन (अक्टूबर, 2015) एवं इस पर राज्य शासन का कृत कार्यवाही प्रतिवेदन तथा मध्यप्रदेश शासन चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का अंतिम प्रतिवेदन (जनवरी, 2017) एवं इस पर राज्य शासन का कृत कार्यवाही प्रतिवेदन पटल पर रखा.
- (2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, कटनी का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-2017 पटल पर रखा.

10. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में 24 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम 4 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जायेगा. लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जायेगी. उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा. तद्नुसार -

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत, सत्यपाल सिंह सिकरवार, दुर्गालाल विजय, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने चंबल संभाग में सिंचाई हेतु चंबल नहर का समुचित मात्रा में पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री हर्ष सिंह, जल संसाधन मंत्री की अनुपस्थिति में श्री उमाशंकर गुप्ता, संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया.

11. अध्यक्षीय घोषणा कार्यसूची में उल्लेखित कार्य विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमित से घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत हैं. आज की कार्य सूची में उल्लिखत पद 6 में उल्लिखित कार्य पूर्ण होने के पश्चात् गैर सरकारी सदस्यों के कार्य लिये जायेंगे.

श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री बाला बच्चन, सदस्यगण ने उल्लेख किया कि सदन इससे सहमत नहीं है हमारी इस पर आपित्त है, आपने अभी पद 6 की बात की है और पद 7 में नियम 139 की चर्चा है और पद 8 में अशासकीय विधि विषयक कार्य है तो क्या आप अशासकीय कार्यों को पूरी तरह से निलंबित कर रहे हैं. पद क्रमांक 7 पर जो नियम 139 की चर्चा है उसका क्या होगा, उस पर आप चर्चा नहीं कराना चाहते हैं? जब आपने 8 तारीख तक विधान सभा बुलायी है और फिर प्रदेश के किसानों के ऊपर चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते हैं? आसंदी द्वारा सूचित किया गया कि अशासकीय संकल्प ले रहे है इसीलिए उल्लेख किया है. अभी ध्यानाकर्षण पर चर्चा हो जाने दें फिर इसके बाद बात करेंगे.

(अध्यक्ष महोदय द्वारा 3.05 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित की जाकर 3.34 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने पुन: उल्लेख किया कि मेरा आसंदी से अनुरोध है कि आप स्थिति स्पष्ट कर दें. अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि चारों ध्यानाकर्षण होने के बाद में फिर से बात करेंगे.

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी के अनुरोध किया कि मामला बड़ा स्पष्ट है. अशासकीय संकल्प का समय है. शुक्रवार का दिन है. ध्यानाकर्षण हों तो अगले दिन ले लें नहीं तो ध्यानाकर्षण के बाद अशासकीय संकल्प ले लें? अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पुरानी भी परंपराएं हैं कि कार्य चलता रहता है, उसके बाद में लिया जाता है. पहले ध्यानाकर्षण हो जाने दें फिर आपकी शंका का समाधान करेंगे.

12. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

- (2) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य ने रीवा संभाग में तेंदूपत्ता संग्राहकों को उचित मूल्य न दिये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
 - डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने वक्तव्य दिया.
- (3) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य ने आगर जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा ड्रिप सामग्री वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का ध्यान आकर्षित किया.
 - श्री सूर्यप्रकाश मीना, राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने वक्तव्य दिया.
- (4) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य ने सुवासरा क्षेत्र के सीतामऊ जल आवर्धन योजना के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (5) से (24) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

- (5) श्री तरूण भनोत, सदस्य की जबलपुर सिहत प्रदेश के अनेक जिलों में नजूल भूमि में रहने वालों को भू-स्वामी का अधिकार न दिये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.
- (6) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की प्रदेश में निराश्रित पेंशन बंद किये जाने संबंधी सूचना तथा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री का वक्तव्य.
- (7) श्री विजयपाल सिंह, सदस्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक पन्ना में भ्रष्टाचार पर हुई एफ.आई.आर. में पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.
- (8) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य की नागदा नगर स्थित उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन न बढ़ाये जाने संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य.
- (9) श्री अजय सिंह, सदस्य की रीवा स्थित इंजीनियरिंग महाविद्यालय की भूमि को अन्य संस्थाओं को दिये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास का वक्तव्य.
- (10) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, जालम सिंह पटेल, सदस्य की प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने का उचित मूल्य न मिलने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.
- (11) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य की बालाघाट जिले में माहू कीट से धान की फसल नष्ट होने संबंधी सचना तथा राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.
- (12) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की लिलितपुर-सतना-पन्ना-खजुराहो-सिंगरौली रेल लाईन हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.
- (13) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य की प्रदेश के विद्यालयों में अक्षर ज्ञान के चार्ट के नाम पर अवैध वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.
- (14) श्री तरूण भनोत, सदस्य की जबलपुर के बालसागर विस्थापितों को आवास हेतु राशि न मिलने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.
- (15) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले में जॉब कार्डधारी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.
- (16) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक, सदस्य की होशंगाबाद जिले के ग्राम सोडलपुर में वन विभाग द्वारा जबरन ट्रैक्टर जप्त किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.
- (17) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सिंगरौली, सीधी जिले में विद्युत ट्रांसफार्मर जले होने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.
- (18) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य की प्रदेश के कपास उत्पादकों को कपास का समर्थन मूल्य न बढ़ाये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

- (19) श्री दिनेश राय, सदस्य की प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ई-पंचायतों के संबंध में बनाए गए भवन की जर्जर हालत होने संबंधी सूचना तथा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.
- (20) श्री तरूण भनोत, सदस्य की जबलपुर के रमनगरा क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.
- (21) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री बाबूलाल गौर, सदस्य की भोपाल स्थित चिकित्सालयों में मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया आदि बीमारियों का इलाज न होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.
- (22) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, इन्जी. प्रदीप लारिया, सदस्य की प्रदेश में कृषि भूमि नामांतरण के नये नियम से किसानों को हो रही परेशानी संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.
- (23) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले में मलेरिया एवं डेंगू की रोकथाम के उपाय न किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.
- (24) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य की नागदा खाचरौद क्षेत्र में चम्बल नदी के प्रदूषित पानी पीने से निवासियों के विकलांग होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

13. अध्यक्षीय घोषणा

कार्यसूची में अंकित शेष कार्य पद क्र. 6 एवं 7 आगामी कार्य दिवस को लिया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमित से घोषणा की गई कि जैसा कि पूर्व में सूचित किया गया है कि आज अशासकीय कार्य दिवस है, इसलिये कार्यसूची के पद 4 एवं 5 का कार्य पूर्ण होने के उपरांत अशासकीय कार्य लिया जायेगा. कार्यसूची में अंकित शेष कार्य पद (6 व 7) आगामी कार्य दिवस को लिये जायेंगे. मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है.

14. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

- (1) श्री जयसिंह मरावी, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का नवम् एवं दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
- (2) इंजी. प्रदीप लारिया, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का तीसवां, इकतीसवां, बत्तीसवां एवं तैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
- (3) श्री के.डी. देशमुख, सभापति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
- (4) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी सिमिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

15. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं:-

- (1) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
- (2) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
- (3) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दितया)
- (4) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
- (5) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
- (6) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
- (7) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
- (8) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
- (9) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
- (10) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
- (11) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)
- (12) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी (जिला-भोपाल शहर)

- (13) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
- (14) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
- (15) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
- (16) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
- (17) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
- (18) कुं. विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
- (19) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
- (20) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
- (21) श्री दिव्यराज सिंह (जिला-रीवा)
- (22) पं. रमाकान्त तिवारी (जिला-रीवा)
- (23) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
- (24) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
- (25) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
- (26) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
- (27) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर (जिला-खण्डवा)
- (28) श्री चैतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
- (29) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
- (30) श्रीमती झुमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
- (31) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
- (32) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
- (33) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
- (34) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मंदसौर)
- (35) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
- (36) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
- (37) श्री नथनशाह कवरेती (जिला-छिन्दवाड़ा)
- (38) श्री राजेश सोनकर (जिला-इंदौर)
- (39) श्री नानाभाऊ मोहोड़ (जिला-भोपाल शहर)
- (40) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार (जिला-मुरैना)
- (41) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
- (42) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)

16. अशासकीय विधि विषयक कार्य

श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य ने मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 18 सन् 2017) के पुर:स्थापन की अनुमित मांगी. सदन द्वारा अनुमित प्रदान नहीं की गई.

17. अशासकीय संकल्प

(1) श्री के.डी. देशमुख, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश की पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में शामिल कोहरी जाति को भारत सरकार की पिछड़ा वर्ग जाति की अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा राज्य शासन द्वारा की जाए.". तथा श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य ने भी संक्षिप्त भाषण दिया.

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि नगरीय निकायों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के करारोपण एवं विकास कार्यों की देख-रेख के लिए नियामक प्राधिकरणों का गठन किया जाए.". तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

18. अध्यक्षीय घोषणा अशासकीय संकल्पों को एकजाई कर चर्चा कराने विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमित से यह घोषणा की गई कि रेल संबंधी एकजाई अशासकीय संकल्प हेतु प्रक्रिया यह होगी कि तीनों माननीय सदस्य क्रमश: अपने-अपने रेल संबंधी संकल्प प्रस्तुत करेंगे. तदुपरांत तीनों संकल्पों पर माननीय मंत्री द्वारा एकजाई जवाब दिया जाएगा.

19. अशासकीय संकल्प (क्रमशः)

(3) श्री अरूण भीमावद, श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर एवं श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि – (i) ट्रेन क्रमांक-19325/19326 इन्दौर-अमृतसर एवं ट्रेन क्रमांक 19053/19054 सूरत-मुज्जफरपुर एक्सप्रेस अप/डाऊन गाड़ियों का स्टापेज शाजापुर स्टेशन पर किया जाए, (ii) भोपाल से खजुराहो आने तथा जाने वाली महामना एक्सप्रेस ट्रेन का स्टापेज खरगापुर रेल्वे स्टेशन पर किया जाए तथा (iii) ट्रेन क्रमांक 51673/51674 इटारसी-सतना एक्सप्रेस को पुनः प्रारंभ किया जाए.". तथा संक्षिप्त भाषण दिया. श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक एवं श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किए.

संकल्प प्रस्तुत हुए.

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने सभी संकल्पों पर शासन की सहमति व्यक्त की और स्वीकृत करने का अनुरोध किया.

एकजाई संकल्प स्वीकृत हुए.

20. नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा.

श्री कैलाश चावला, सदस्य द्वारा दिनांक 6 मार्च, 2017 को राजस्व मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्रमांक 1687) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चर्चा प्रारम्भ की गई. श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने उत्तर दिया.

अपराह्न 4.55 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 (अग्रहायण 13, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:

दिनांक: 1 दिसम्बर, 2017

अवधेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा